कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा / मा / अ–3 / भनावमा / 2018–19 दिनांकः– 29/03/19

1. संयुक्त निदेशक
   स्कूल शिक्षा विभाग
   मण्डल– समस्त
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
   माध्यमिक शिक्षा–समस्त
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय
   माध्यमिक शिक्षा– समस्त

विषयः– निजी विद्यालयों में पुस्तकों, यूनिफॉर्म, जूते, टाई आदि के लिए दिशा–निर्देश।

प्रसंगः– प.9(2)शिक्षा–5 / पुस्तकें, यूनिफॉर्म, जूते, टाई आदि / 2016 जयपुर दिनांक 03.10.16 एवं 17.04.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निजी विद्यालयों में पुस्तकों,यूनिफॉर्म, जूते, टाई आदि के संबंध में शासन के प्रांसगिक पत्र के क्रम में इस कार्यालय के पत्र दि. 23.06.17 एवं 29.03.18 को निर्देश जारी किये गये थे। यह ध्यान में आया है कि इन निर्देशों की सख्ती से पालना नहीं की जा रही है। इस संबंध में निजी शिक्षण संस्था द्वारा मनमानी नहीं हो, ऐसी व्यवस्था की जावे। प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों के संबंध में राज्य सरकार स्तर से जनहित में निम्नानुसार मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रसारित किये गये हैं:–

1. ये मार्गदर्शी सिद्धान्त शिक्षण सत्र 2016–17 से निरन्तर आगामी सत्रों के लिये प्रभावी हैं।
2. ये मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों चाहे किसी शिक्षा बोर्ड / मण्डल से संबद्ध हो, पर प्रभावी होंगे।
3. जिस बोर्ड / मण्डल से शिक्षण संस्था संचालन की मान्यता प्राप्त हुई है, उस बोर्ड / मण्डल द्वारा निर्धारित मान्यता नियमों / निर्देशों / मापदण्डों / अधिनियम का पालन करना निजी विद्यालयों के लिए अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक निजी विद्यालय द्वारा स्वयं की वेबसाइट संचालित की जाएगी तथा वेबसाइट न होने पर समस्त जानकारी नोटिस बोर्ड पर आवश्यक रूप से देनी होगी, इसके साथ ही:–

(i) निजी विद्यालय अपने विवेकानुसार एनसीईआरटी. / राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल / माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / निजी प्रकाशकों द्वारा पाठ्यक्रम के अनुसार प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों में से विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए पुस्तकों का चयन कर सकेंगी। निजी विद्यालय के लिए अनिवार्य होगा कि वे शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने के क्रम में कम से कम एक माह पूर्व पुस्तकों की सूची, लेखक एवं प्रकाशक के नाम तथा मूल्य के साथ अपने विद्यालय के सूचना पटल एवं अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करें और शाला के विद्यार्थियों / अभिभावकों द्वारा मांगने पर उन्हे उपलब्ध करावें ताकि विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकगण इन पुस्तकों को उनकी सुविधा से खुले बाजार से क्रय कर सकें।

(ii) पुस्तकों के अलावा निजी विद्यालयों द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म, टाई, जूते, कापियॉ आदि भी विद्यार्थी / अभिभावकगण खुले बाजार से क्रय करने को स्वतन्त्र होंगे।

(iii) किसी भी शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम अंकित नहीं होगा। किसी भी दुकान विशेष से पुस्तकें एवं अन्य सामग्री के क्रय का दबाव नहीं बनाया जायेगा। शाला परिसर में पुस्तकों एवं अन्य सामग्री का विक्रय नहीं किया जायेगा।

लगातार....2 पर

www.rajteachers.com

(iv) निजी विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए निर्धारित की जाने वाली यूनिफॉर्म न्यूनतम 05 वर्षों तक बदली नहीं जावेगी।

(v) निजी विद्यालय यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों के लिए अनुशंषित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म एवं सामग्री न्यूनतम 03 स्थानीय विक्रेताओं के पास उपलब्ध होनी चाहिए।

5. इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को लागू करने के बाद आने वाली कठिनाइयों एवं प्राप्त अनुभव के आधार पर इनमें आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाएगा।

6. इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की पालना न करने पर मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जावे।

उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे एवं पालना नहीं करने वाले विद्यालयों की (चाहे वे किसी भी बोर्ड से संबद्धता रखते हों) मान्यता समाप्ति हेतु नियमानुसार प्रस्ताव तत्काल प्रेषित करावें। **उक्त निर्देशो की तत्काल पालना सुनिश्चित करने हेतु अपने अधिनस्थ अधिकारियों/निजी विद्यालयों को पाबन्द करें।**

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री प्राथमिक,माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा,शासन सचिवालय जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग शासन सचिवालय जयपुर।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

www.rajteachers.com